प्रेस नोट
दिनांक 28.01.2024
स्वच्छता अभियान

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में कार्यालय/थानों में चलाया गया स्वच्छता अभियान, अधिकारी व कर्मचारीगणों द्वारा श्रमदान करते हुए प्रांगण की साफ सफाई की गयी–

गोण्डा। आज दिनांक 28.01.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों/कार्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। महोदय द्वारा विशेष रूप से थानों पर खाली पड़े हुए स्थान पर जगह–जगह उगी हुई घास को कटवाने व गंदगी को साफ करने का निर्देश दिए गए थे। पुलिस कार्यालय व थानों में कार्यरत समस्त अधि0/कर्मचारीगणों द्वारा कार्यालय/थाना परिसर में श्रमदान किया गया तथा लोगों को अपने आस–पास के वातावरण एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देकर जागरूक किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.01.2024</u>

थाना को0नगर क्षेत्र अन्तर्गत जानलेवा हमला करने की घटना में संलिप्त 01 और अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त दुर्गेश गिरि को महादेवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 24.10.2023 को वादी राम महेश गिरि पुत्र द्वारिका गिरि नि0 महादेवा पो0 केशवपुर पहड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.10.2023 को प्रधान नरेन्द्र कुमार गिरि की छत पड़ रही थी उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर बिना किसी कारण वस गाली–गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे थे जिससे मेरे भाई रमेश गिरि व प्रधान जी को गम्भीर चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्त दुर्गेश गिरि को आज दिनांक 28.01.2023 को महादेवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. दुर्गेश गिरि पुत्र ईश्वरदीन नि0 महादेवा पो0 केशवपुर पहड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0स0– 925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 पिंटू कुमार यादव थाना को0 नगर।
02. हे0का0 चन्द्रशेखर यादव।
03. का0 राजेश कुमार

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.01.2024</u>

<u>वन्यजीव का आखेट करने वाले 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तारः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–28/24, धारा 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आज दिनांक को थाना नवाबगंज के उ0नि0 साहेब कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जंगली जानवरों को आखेट कर व्योदा मांझा की तरफ आ रहे है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा व्योदा मांझा में घेराबन्दी कर जंगली सुअरों का आखेट करने के 07 आरोपी अभियुक्तों–01. विजय कुमार, 02. जितेन्द्र रावत, 03. अशोक कुमार, 04. श्रीपाल रावत, 05. हनुमान रावत, 06. लल्लू रावत, 07. मन्ते पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जिन्दा 04 अदद जंगली सुअर व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप बोलेरों बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणः–</u>

01. विजय कुमार पुत्र राम मिलन नि0 हरिहरपुर बलईया थाना को0 रूदौली जनपद आयोध्या।
02. जितेन्द्र रावत पुत्र धनीराम नि0 हरिदासपुर रौनाही जनपद अयोध्या।
03. अशोक कुमार पुत्र श्रीरामजस नि0 साहब का पुरवा रौनाही जनपद अयोध्या।
04. श्रीपाल रावत पुत्र चैतु रावत नि0 हरिदासपुरवा रौनाही जनपद अयोध्या।
05. हनुमान रावत पुत्र राम अभिलाख नि0 खरगूपुर जनपद गोण्डा।
06. लल्लू रावत पुत्र सियाराम नि0 हरिदासपुरवा रौनाही जनपद अयोध्या।
07. मन्ते पासवान पुत्र सूरजपाल नि0 ब्योदा मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोगः–</u>

01. मु0अ0सं0–28/24, धारा 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारी का स्थान–</u>

प्राथमिक विद्यायल व्योदा मांझा के पास से ।

<u>बरामदगीः–</u>

01. 04 अदद राशि वन्यजीव जंगली सुअर।
02. 02 अदद जाल।

03. 01 अदद पीकअप बोलेरों।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीमः—</u>

01. उ0नि0 साहेब कुमार।
02. हे0का0 मनीष कुमार।
03. का0 सुमित यादव।
04. का0 गुड्डू यादव।

प्रेस नोट
दिनांक 28.01.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाया गया 24 घण्टे का विशेष अभियान, 21 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को विशेष अभियान चला कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 28.01.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 21 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनका विवरण निम्न है– थाना को0 देहात पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 05, थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 01, थाना धानेपुर पुलिस ने 05, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना कटराबाजार पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

इस तरह पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय समय पर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।